

5.6.18

पुनर्वली कागज के मप कोर्ट एवम् में पेश हुई। ग्राम
एडकी के ग्रामिण नं. 91/1 तथा 971/91 किला-2 रकबा
2-2250 हे. का रवातेदारों द्वारा सीमाज्ञान नहीं करवाया
गया है। रवातेदार किम मातुकार जी. पम पम प्रस्तुत
कर सीमाज्ञान करवा सकते हैं। बिना सीमाज्ञान के
प्रत्येक गाड़ी खननी करवाई जा सकती है। पंचवारी हलवा
की रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध वर्णित ग्रामिण पर रवातेदारों
का कठका भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इकरायकी पालका
गृहीत कर सकती है। इकराय जी. पम रवादिध किया जा रहा है
पुनर्वली केसाल सुगर होकर गठकर के काम हो तथा दारिद्र्य
दुपकर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उप